

41

पञ्चैतपुर प्रस्ताव टिनांक 17-8-07 की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमे निम्नलिखित व्यक्तियों के उनके सम्मुख अंकित भूमि को बतौर असकम्पनीय भूमिअ अवदित की गयी है-----

क्रमांक--- नाम पट्टेदार---खाता---ख0न0---रकबा---मा0-
अवदतन का प्रकार । 1-- श्रीमती ओमकवली पति स्व0धर्मवीर नि0
जसाला ,खाता 130 , ख0न0 450, 0.0602है. मा0 2.75
असकम्पनीय भूमिअ 2--- सतपाल पुत्र सुखवीर , केला पति
सतपाल नि0

जसाला , खाता स0 443, ख0न0114/1 रकबा 0.0630है0
मा0 2.35, असकम्पनीय भूमिअ । 3-- साधु पुत्र जीवन , श्रीमती
समन्ती पति साधु नि0 जसाला , खाता स0 443, ख0न0
114/2 रकबा 0.0630 है0 मा0 2.35, असकम्पनीय भूमिअ ।
4-- सतपाल पुत्र ब्रह्म , श्रीमती मीना पति सेतपाल


नि0 जसाला , खाता म0 443 ख0न0 393 रकबा 0.1907
है0 मा0 8.65, असकम्पनीय भूमिअ । 5-- अन्धु पुत्र इतमा ,
श्रीमती संगीता पति अन्धु नि0 जसाला , खाता म0 443 ख0न0
200 रकबा 0.0652है0 मा0 2.95, असकम्पनीय भूमिअ ।
6-- सुतफा पुत्र नर इमान , रहींसा पति सुतफा

नि0 जसाला , खाता स0 443 ख0न0 376 रकबा 0.0817
है0 मा0 3.70 , असकम्पनीय भूमिअ । ख0न0का0 15-9-07

1416न0 अदेश श्रीमान उप सचालक, चण्डीनी स0मर
नि0स0 280 ता0न0 20-6-08 हरि सिंह बमरा सरकार धारा
48(1) मे सञ्चोधन अदेश खाता स0 438 पर दूजे है ।
न0ले0च0 11-12-08

1418न0 न्यायालय आदुक्त सहायनर माडुला महाधमर के पत्र
संख्या 2970न0अ0/अन0न0-2/45दिनांक 29 सितम्बर
2007 के अनुसार अदेश है कि धारा पञ्चैतपुर सहायनर जसाली
के खसरा स0 46/03816व 46/07715है0 भूमि का
पंनेग्रहण अदेश0अन0 के अन्तर्गत हेतु किया गया अदेश है कि
वर्तमान मे

उन भूमि के पंनेग्रहण की आवश्यकता नहीं है अतः उनका प्रस्ताव



27/04/2017 12:29 PM

40

निरस्त किया जाता है यदि प्रकरण में पूर्णरण की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव शासनादेश/नियमों के अनुसार उनकी छायाप्रति सतम्न करते हुए अपनी स्पष्ट सस्तुति कर प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करें। ह0र0क0 31-12-2010

1418फ0 न्यायालय उप जिलाधिकारी शामली वाद स0 61/2010-11 धारा 33/39 ज0वि0अपि0 अदेश दिनांक 11-3-11 अदेश हुआ कि खाला स0 443 पर दर्ज 1418फ0 में अयुक्त महोदय सहाननपुर मण्डल सहाननपुर के पत्र संख्या 2970/फ0अ0/अम0ए0-2/45 दिनांक 29-9-07 के अनुक्रम में किया गया अमलदरामद

दिनांकित 31-12-2010 निरस्त किया जाता है। ह0र0क0 11-3-2011

1418फ0 न्यायालय उप जिलाधिकारी शामली वाद स0 64/2010-11 धारा 33/39 में पारित अदेश दिनांक 6-4-11 के द्वारा अदेश हुआ कि खाला स0 443 गाटा स0 330/2.6130है0, 46/0.3820है0, 48/0.7720 है0 से गाजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क0 नाम निरस्तकर भूमि पूर्व की भूमि गाँव सभा के नवीनपयली

के खाते में दर्ज हो। ह0र0क0 7-4-11

1419फ0 कार्यालय अयुक्त महोदय सहाननपुर मण्डल सहाननपुर अदेश पत्र स0 2049 फ0अ0/अम0ए0-2 दि0 24-6-11 के द्वारा गाजकीय अधिसूचना स0 258/ ग-1-16(1)73 दिनांकित 7-5-81 द्वारा प्रति सिद्धित अधिकारों का प्रयोग करते हये अदेश हुआ कि ग्राम फजैलपुर परगना क0अना तह0 शामली, म0नगर के गाटा

स0 330/2.049 है0 अह0र0म0माया पारिदेविक क0 नाम शासनादेश पूर्णरण का जाती है। ह0र0क0 8-7-11



8


6.0888 ₹ 0.00

18

1

:T

RING SI
HNOLC
IGE FA
T.SHA
ARTH S


http://164.100.230.206/bhulekh/app/tehsil-report_user/ROB_Tehsil.jsp

3

Data Digitally Signed by: OM SINGH

इसकेक उदाहण महीली का वेबसाइट <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।



सहस्य अधिकारी: OM SINGH

तहसील: बरामुली

दिनांक एवं समय: 27-04-2017 12:29:14

● यह उदाहण महीली का वेबसाइट <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।

27.04.2017